



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2020
फाल्गुन 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020
लखनऊ, 12 मार्च, 2020

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 जिससे आयुष अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 11 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारम्भ

परिभाषायें

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(1) 'विद्या परिषद' और 'कार्य परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः विद्या परिषद और कार्य परिषद से है ;

(2) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' या 'सम्बद्ध संस्था' का तात्पर्य इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है ;

(3) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(4) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और परिचर्या के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1939, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन ऐक्ट, 1951 में उनके लिये समनुदेशित हैं;

(5) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन संकाय से है;

(6) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है;

(7) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास-इकाई से है;

(8) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतंत्र' का तात्पर्य उस महाविद्यालय के प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों से प्रभारित और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(9) 'आयुष' का तात्पर्य आनुकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की उन समस्त शाखाओं से है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा तथा सोयारिगा, परिचर्या, पराचिकित्सा विज्ञान और उनकी समस्त शाखाओं के अन्य समवर्ती विषय सम्मिलित हैं;

(10) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(11) 'परिनियमावली' 'अध्यादेशों' और 'विनियमावली' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमावली से है;

(12) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अनुदेश या मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा अनुसंधान संचालित करने के लिए नियोजित किसी अध्यापक से है, जिसमें किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निदेशक या प्राचार्य सम्मिलित है।

(13) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का
निगमितीकरण

3-कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पदधारण करते हों, से राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय सृजित होगी।

कुलपति और
कर्मचारीवृन्द की
प्रथम नियुक्ति

4-(1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति, सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति और चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक (अधीक्षकों) की नियुक्ति, कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से की जा सकती है।

5-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा तथा सोयारिग्पा, परिचर्या, भैषजी, पराचिकित्सा विज्ञान और उनकी समय-समय पर विहित की जाने वाली अन्य शाखाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना तथा उनमें अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी दक्ष एवं व्यवस्थित अनुदेश, सुनिश्चित करना;

(ख) बहुशाखीय और अतिविशिष्ट आयुष चिकित्सालयों का उपबन्ध करना;

(ग) उसके चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का उपचार करना;

(घ) सम्बद्ध (सरकारी तथा निजी रूप से प्रबन्धकृत) महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उन्हें विनियमित करना और तत्सम्बन्धी परीक्षाएँ संचालित करना;

(ङ) आयुष चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना;

(च) परम्परागत तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(छ) अध्यापकों और अन्य प्राविधिक तथा पराचिकित्सीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना; और

(ज) संघ, राज्य और अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयीत करना।

6-विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:-

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य कर्तव्य

(एक) आयुष चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सीय तथा अन्य शाखाओं जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्यापन तथा प्रशिक्षण संस्थित करना, और उन शाखाओं में अनुसंधान एवं ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिये उपबन्ध करना तथा उनकी अनुवृद्धि का प्रबन्ध करना;

(दो) सम्बद्ध आयुष महाविद्यालयों, परिचर्या संस्थाओं तथा परा-चिकित्सा संस्थाओं और ऐसे घटक एवं स्वशासी महाविद्यालयों में उपाधियाँ संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न आयुष पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का और परीक्षा या परीक्षण आयोजित करना तथा तत्सम्बन्ध में शर्तें अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और उन्हें उपाधियाँ, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियाँ स्वीकृत करना तथा प्रदत्त करना; जो,

(क) विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान जारी रखे हों;

(पाँच) परिणियमावली में अधिकथित रीति से और उसकी शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ प्रदत्त करना;

(छः) अभ्यर्थियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, के लिये ऐसे व्याख्यानों, अनुदेशों तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार तथा सहयोग करना;

(आठ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वृत्तिका, पदक, पारितोषिक संस्थित करना तथा प्रदान करना और अन्य छात्र कल्याणकारी क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करना;

(नौ) किसी उपाधि हेतु पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य या किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पूरा करने के लिये अनुसंधान संस्थानों, चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(बारह) फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के लिये व्यवस्था करना;

(चौदह) अध्यापन, प्रशासनिक, प्राविधिक, अध्यापनेत्तर और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ शोध और एकस्व कार्यों के प्रकाशन का दायित्व लेना;

(सोलह) अपने चिकित्सालयों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये उपबंध करना;

(सत्रह) किसी राजकीय या निजी आयुष महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो परिचर्या तथा पराचिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता के विशेषाधिकार देना अथवा ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लेना या उनमें कटौती करना और ऐसी संस्था के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित ऐसे सभी कार्य एवं बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

7-(1) उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

विशेषाधिकारों की अधिकारिता और उनकी स्वीकृति

(2) परिचर्या, पराचिकित्सा शाखाओं में आयुष चिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का कोई महाविद्यालय या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी आयुष विज्ञान के किसी आयुष महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा।

(4) नियत दिनांक को और से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी क्षेत्रीय राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुष चिकित्सा विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और संस्थायें, इस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे।

8-जाति, वर्ग, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा; परन्तु यह कि आयुष विश्वविद्यालय-

विश्वविद्यालय समस्त जातियों एवं पंथों के लिए होगा

(एक) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निबन्धित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त सरकार के किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण और जाँच

9-(1) सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कर्मशालायें तथा उपस्कार हैं, के सम्बन्ध में, और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा समस्त अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासक तथा वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

परिदर्शन

(2) जहाँ सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में ऐसी निरीक्षण या जाँच में उपस्थित नहीं होगा, पक्ष समर्थन नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समस्त शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

(4) सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश, कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसे परामर्श, जैसा कि सरकार प्रदान करे, के साथ कार्य-परिषद को संसूचित करेगी।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे सरकार नियत करे कार्य परिषद द्वारा की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, युक्तियुक्त समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें तो सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) सरकार, कुलपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये किसी निरीक्षण या जांच की, और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की, और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की प्रत्येक रिपोर्ट, और ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय- तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे।

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाए।

कुलपति

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतानिक अधिकारी होगा और उपधारा (6) या उपधारा (10) द्वारा तथा उपबंधित के सिवाय वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों।

(2) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या अरसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिये पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(3) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) मुख्य सचिव;

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग;

(ग) कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय;

(घ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली;

(ङ) आयुष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जो चिकित्सा संस्था या चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान की श्रेणी से नीचे का न हो, जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी अपेक्षा की जाये ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलपति का पद धारण करने के लिये कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति, कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(5) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए चयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (4) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(8) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे:-

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद-त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को, समय-समय पर बढ़ा सकेंगे। किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(9) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, या जहाँ कोई, प्रतिकुलपति न हो, वहाँ विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(10) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(11) उपधारा (10) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि अग्रतर आदेशों तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का सम्पादन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की
शक्तियां तथा
कर्तव्य

13-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और -

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रवर्तित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष (अध्यक्षा) होंगे/होंगी।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 11 और 50 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसी अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट, वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी तथापि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से, जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही पर विनिश्चय से उसे संसूचित किया जाए, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात से कुलपति का कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था, बजट में न की गयी हो।

(8) जहाँ उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में नियुक्ति सम्मिलित हो, वहाँ ऐसी नियुक्ति, उक्त विहित रीति से नियुक्ति किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किया जाय।

प्रति-कुलपति

14-(1) कुलपति यदि आवश्यक समझे विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति कुलपति, सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा यथा अवधारित धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।

(5) प्रति-कुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय तथा वह कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जाय।

कुल सचिव

15-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबंधनो और शर्तों पर की जायेगी जैसाकि विहित किया जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह किसी अध्यापक हेतु कार्य परिषद, विद्या परिषद, प्रवेश समिति, अनुशासन समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों तथा कुलपति के समक्ष समय-समय पर अपेक्षित ऐसी समस्त सूचनाओं को रखने के लिये बाध्य होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) कुल सचिव को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न तो प्रदान किया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर सहायता देने और सहायता करने के लिये उप कुलसचिव (उप कुलसचिवों) तथा सहायक कुल सचिव (सहायक कुल सचिवों) की नियुक्ति की जा सकती है।

वित्त अधिकारी

16-(1) विश्वविद्यालय हेतु एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिणियमावली के अधीन विहित शर्तों पर वित्त अधिकारी को सहायता देने और सहायता करने के लिये एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) वित्त अधिकारी कार्य परिषद को बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा :-

(क) यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाए;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्हीं परिणियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कदम उठाये जाएं;

(घ) यह सुनिश्चित कराना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों को सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(8) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(9) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसाकि विहित किया जाय।

17-(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा जैसा कि उसके कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी सम्पादन करेगा जैसा कि विनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना होगा और उसके पास इस संबंध में कुल सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्याधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं का संचालन करना होगा और उसके लिये समस्त अन्य व्यवस्थाएँ करनी होंगी और तत्सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक, किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन, यथा रिथिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन, परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्त को भरे जाने तक कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमों के अधीन विहित शर्तों पर परीक्षा नियंत्रक को सहायता देने और सहायता करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

अन्य अधिकारी

18—कुलाधिपति, कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हों, जो नियुक्त किये गये हों, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्ति वही होगी जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या अधिकथित किया जाय।

अध्याय — चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (क) कार्य परिषद;
- (ख) विद्या परिषद;
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) परीक्षा समिति;
- (ङ) संकाय बोर्ड;
- (च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति;
- (छ) प्रवेश समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

कार्य परिषद का गठन

20—(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्ष) होगा/होगी;
- (ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(घ) प्रमुख संचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के दो संकायों के संकायाध्यक्ष ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा;

(च) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश;

(छ) निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश;

(ज) निदेशक, यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

(झ) निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

(ञ) कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट राजकीय आयुष महाविद्यालयों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य;

(ट) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राजकीय आयुष महाविद्यालय का एक प्राचार्य;

(ठ) सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठ आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ड) आयुष चिकित्सा व्यवसाय या सामाजिक सेवा में संलग्न सिविल सोसाइटी के दो प्रख्यात सदस्य या सेवानिवृत्त सिविल सेवक या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति कार्यपरिषद का सदस्य होने और सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय अथवा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में होंगे अथवा विश्वविद्यालय में या उसके लिये किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की, या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात, किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण- इस धारा में नातेदार का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 2 में परिभाषित कम्पनी और परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन नियम, 2014 के नियम-4 के अधीन विहित "नातेदारों" से है।

21-(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के व्ययन पर रखी गई किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छ) अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि-छात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के मध्य परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय और साथ ही साथ घटक, सम्बद्ध महाविद्यालयों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा द्वारा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुसार किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

22-(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए,—

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद को परामर्श दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) कुलपति;

(दो) संकायों के संकायाध्यक्ष

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पाँच) आयुष संस्थाओं या आयुष महाविद्यालयों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय से दो आचार्य, दो सह-आचार्य और दो सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे; और

(सात) शैक्षणिक ख्याति के पाँच व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

23-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:—

वित्त समिति

(क) कुलपति, जो उसका/उसकी अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव;

(ग) सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्ययों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकारी होगी।

(4) वित्तीय समिति को ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाएं।

संकाय

24--(1) विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, परिचर्या, पराचिकित्सा संकाय और यथाविहित अन्य संकाय होंगे।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग समाविष्ट होंगे जो विहित किये जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसके लिये अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किये जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों की पदावधि सहित) तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि विहित किये जायें।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का/की अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी, और

(क) संकाय में समाविष्ट विभागों के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन के लिए;

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के लिए;

उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसा कि अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाए।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन बोर्डों का गठन अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड के लिये एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

25-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन उसी प्रकार प्रवेश समिति से किया जायेगा जैसा कि अध्यादेशों में उपबंधित किया गया हो।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियां नियत करने की शक्तियां होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षण के अधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकृत करेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति प्रवेशों के मापदण्ड या पद्धतियों (जिसमें प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या सम्मिलित हो) के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी कर सकती है।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त करें।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय या राज्य नियामक निकायों के किन्हीं आदेशों के अधीन होंगे।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कुलपति के पास ऐसा उल्लंघन किये जाने पर दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

26-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबंधित रूप में किया जायेगा।

(2) समिति सामान्यतः विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का जिसमें अनुसूचित तथा सारणीकरण भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगी, अर्थात्:-

(क) परीक्षकों तथा अनुसूचितों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और तत्सम्बन्ध में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विद्या परिषद को संस्तुतियां करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतः किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो,

विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

अन्य प्राधिकरण

27-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय - पाँच

महाविद्यालयों की सम्बद्धता और मान्यता

सम्बद्ध महाविद्यालय

28-(1) कार्य परिषद, किसी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाए, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को निस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य, उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद अथवा उप-कुलपति मांगे।

(5) कार्यपरिषद, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगी और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जाएगी।

(6) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाए, आवश्यक प्रतीत हो।

(7) ऐसे किसी महाविद्यालय, जो उपधारा (6) के अधीन कार्यपरिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल हो जाता है, की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, उस महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, कार्यपरिषद द्वारा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिये जा सकेंगे या उनमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र, सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो गया हो तो कुलाधिपति प्रबंधतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगा अथवा उनमें कमी कर सकेगा।

संघटक

महाविद्यालय

29-(1) संघटक महाविद्यालय वे महाविद्यालय होंगे, जिन्हें परिनियमों द्वारा नामित किया जाये और विश्वविद्यालय द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे।

(2) किसी संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य का महाविद्यालय के कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय।

30—विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, ऐसे किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को विहित रीति से स्वशासी महाविद्यालय, जो उस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करता हो, के रूप में उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

स्वशासी
महाविद्यालय

अध्याय - छः

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तें

31—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक, कार्यपरिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो:

अध्यापकों की
नियुक्ति

परन्तु, अध्यापकों को किसी नियामक निकाय की अनुज्ञा की गम्भीर आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में अनधिक एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर लगाया जा सकता है। न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव वही होंगे जैसा कि सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परीवीक्षा पर होगी जिसे कार्यपरिषद द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह कि परीवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश, विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद आदेश न दे दें:

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा:

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परीवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाए तो परीवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ायी जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अंतिम आदेश न दे दिया जाये।

(3) जहां कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाये या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो जाये, वहां कार्य परिषद, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करती है तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक हैसियत से चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संबंधित अध्यापक, ऐसी मौलिक नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन मौलिक हैसियत से नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(दो) संबद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके मौलिक पद की श्रेणी से उच्चतर हो, ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाये कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वे ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें।

(तीन) किसी आचार्य या किसी सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालय के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझें, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेंगे। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया गया हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण (1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिसमें स्नातकोत्तर उपधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण- (2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम-निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति की बैठक के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से, जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा;

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो;

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी चयन समिति की कुल सदस्यों के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एक से अधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्यपरिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद चयन समिति के अधवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करें, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता, और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय, परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाये, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

32-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत कोई सह-आचार्य, जिसकी उतनी सेवा अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

सह- आचार्य
और आचार्य के
पद पर वैयक्तिक
पदोन्नति

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति, महाविद्यालय के अध्यापकों से भिन्न विश्वविद्यालय के अध्यापकों को धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जायें, के अधधीन प्रदान की जायेगी।

33-(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों का कोई अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों की
नियुक्ति की
संविदा

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसी सीमा, यदि कोई हो, के सिवाय और ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निजी चिकित्सा व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

34-विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन स्कीमें, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है, जिससे

पेंशन, भविष्य
निधि आदि

यथास्थिति ऐसे अध्यापकों या उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में उपगत निर्योग्यता, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा।

अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिकीय कार्य की सीमायें

35-(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिकीय के संदाय संबंधी शर्तें वही होंगी जो विहित की जाएं।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन संबंधी कर्तव्यों या किन्हीं परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—शब्द "पारिश्रमिकीय पदों" में किसी छात्रावास के प्रोवोस्ट, वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सम्मिलित हैं।

माध्यस्थम अधिकरण

36-(1) धारा 33 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति के संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) माध्यस्थम अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्ति करने का आदेश देना; और

(ग) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय की कटौती करने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय—सात

विश्वविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंद की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें

37—(1) विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति, परिनियमावली में यथा विहित भर्ती बोर्ड या पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

शिक्षणोत्तर
कर्मचारिवृंद की
सेवा शर्तें

(2) सेवाओं की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वही होगी, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किया जाय और सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाय।

(3) आयु अवधारण और सेवा या अनुभव काल की गणना, उस भर्ती वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई से प्रारम्भ हो, के 01 जुलाई को की जायेगी।

(4) विभिन्न पदों आदि पर सीधी भर्ती या पदोन्नति हेतु आयु, न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आरक्षण और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(5) रिक्त अनुमोदित पदों के सापेक्ष सरकार के निदेशों के अनुसार कर्मचारीगण को बाह्य स्रोतित किया जा सकता है।

अध्याय—आठ

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

38—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टता निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किये जायेंगे:—

परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का नाम निर्देशन, नियुक्ति तथा पदावधि, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों का भरा जाना और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता और अनुभव सहित) उनके द्वारा विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण-नियम और उनकी परिलक्षियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव सम्मिलित है) और उनकी परिलक्षियाँ एवं उनकी सेवा शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए नयी पेंशन स्कीम या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ज) संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उत्सादन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनर्गठन;

(ड) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें, अनुभव, परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, पदकों, तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, आयोजित करना;

(त) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तें, जिनके अधीन ऐसा कोई विशेषाधिकार वापस लिया जा सकता है;

(थ) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को मान्यता प्रदान करना;

(द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिणियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियमावली
कैसे बनायी
जायेगी

39-(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिणियमावली सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से बनायी जायेगी।

(2) कार्य परिषद नई या अतिरिक्त परिणियमावली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिणियमावली में संशोधन या उसे निरसित कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठनों को प्रभावित करने वाली किसी परिणियमावली के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी तथा उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नयी परिणियमावली या किसी परिणियमावली में किया गया परिवर्द्धन या किसी परिणियमावली में किया गया संशोधन या निरसन, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिणियमावली, उस दिनांक से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसे पश्चात्पूर्ती दिनांक से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रभावी होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक प्राधिकरण के किसी सुझाव या सिफारिश पर या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विद्या, अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारिवृंद के हित में अपने किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिणियमावली बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिणियमावली में संशोधन करने या उसे निरस्त करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहती है तो सरकार कुलाधिपति की सहमति से नये या

अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद को सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनायी गयी परिनियमावली को संशोधित या निरस्त करने या ऐसी परिनियमावली से संगत नई या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

40-(1) इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबन्धी विशेष उपाधियों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और उपाधियों में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने के लिये शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों, की मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और ऐसे दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग करने अथवा ज्येष्ठ छात्रों द्वारा नये छात्रों की हिंसात्मक या अशिष्ट रैगिंग के लिये निलम्बन, निष्कासन या निर्बंधन सम्मिलित हैं;

(ज) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन हेतु प्रभारित की जाय;

(झ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसूचकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और

(ठ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबन्ध किये जाने हों या अध्यादेशों द्वारा किए जाएं;

41-(1) अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे और कुलाधिपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

(2) कार्य परिषद समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों में संशोधन या निरसन कर सकती है:

परन्तु ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा,—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय की उपाधियों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये धारा 25 की उपधारा (1) में उल्लिखित अर्हताओं को विहित करें, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप, विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों, तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन या उनके मानक पर प्रभाव पड़े जो कि संबंधित संकाय के प्रस्ताव के अनुसार न हो और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) जिससे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े जब तक कि उसका प्रारूप सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद को पूर्णतया अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी जिनका कार्य परिषद सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश, ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को कार्य परिषद को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना की प्राप्ति के दिनांक से ऐसे अध्यादेश, शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेंगे कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन, तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा।

विनियम

42—(1) इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा:—

(क) अपनी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना, जिसका संबंध केवल ऐसे प्राधिकरण या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमावली और अध्यादेशों में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की बैठकों के दिनांक और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने का उपबन्ध होगा।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निदेशों में यथा विनिर्दिष्ट रूप में रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे और तदोपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;

(4) विद्या परिषद, अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम, संबन्धित संकाय बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद के पास उपधारा (4) के अधीन संकाय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ अग्रतर विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय— नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

43—विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी।

44—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र, कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय द्वारा प्रोद्भूत समस्त धनराशि, और ऐसी समस्त धनराशि, जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जिससे उनकी संपरीक्षा की जायेगी।

(3) सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कार्य परिषद द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) कार्य परिषद ऐसे दिनांक के पूर्व, जो विहित किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित धनराशि से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिश कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद, जो वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद के लिये कोई व्यय उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को निधियाँ अनुदानित किये जाने की दशा में ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो;

परन्तु यह कि धारा 13 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुये भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति एक लाख रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्ती व्यय, जो बजट में मंजूर न किया गया हो, उपगत कर सकेगा और उसे ऐसे सम्पूर्ण व्यय के संबन्ध में तत्काल सरकार को सूचित करना होगा;

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन दिये जाने हेतु तात्पर्यित कुलाधिपति या सरकार के किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमें के सम्बन्ध में हो।

अधिभार

45-(1) धारा 10 के खण्ड (ख) से (ज) में से किसी खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, विश्वविद्यालय की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हेतु अधिभार का दायी होगा, यदि ऐसे हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन सीधे उसकी उपेक्षा या अपचार के परिणामस्वरूप हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

प्राधिकरणों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति की रीति

46-(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन से भिन्न पद्धतियों से चुने जायेंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमावली में चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी आवेदन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

47-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी हो, चुना गया हो और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये, वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी हो केवल तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपना सीट धारित करता रहेगा, जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

48-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय अथवा समिति की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

49-कार्य परिषद, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी हो अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो, जो विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

50—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य रहा है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

कुलाधिपति को निदेश

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देशः—

(क) उस दिनांक के, जब प्रश्न प्रथम बार उठाया जा सकता था तीन मास से अधिक के पश्चात् ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा, नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(एक) पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा;

(दो) जहां निर्दिष्ट विषय का संबंध निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

51—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहारों को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय का अभिलेख सिद्ध करने की रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

52—कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, जब इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्यरत हों या कार्यरत होना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

53—सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या उसके निकाय के विरुद्ध उक्त अधिनियम या तदधीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

वाद का वर्जन

अध्याय — ग्यारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकरण का
गठन

54—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायेगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों अथवा निर्वहन योग्य, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर
करने की शक्ति

55—(1) सरकार, कोई कठिनाईयां दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्थित जिला गोरखपुर में राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं नीचे यथा उल्लिखित हैं:—

(क) विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य आयुष विज्ञान, आयुष परिचर्या, पराचिकित्सा और अन्य विधाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना है;

(ख) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के लिये सशक्त करना:—

(एक) सरकारी और साथ-ही-साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना;

(दो) उसके चिकित्सालयों तथा निदान केन्द्रों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध करना तथा उनपर नियंत्रण रखना;

(तीन) पारम्परिक तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(चार) अध्यापकों तथा अन्य प्राविधिक एवं पराचिकित्सीय अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना।

तदनुसार राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 420(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-8-2020

Dated Lucknow, March 12, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the *Rajya Ayush Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh Adhiniyam, 2020* (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 2020. The *Ayush Anubhag-1* is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE STATE AYUSH UNIVERSITY,
UTTAR PRADESH ACT, 2020
(U.P. Act no. 6 of 2020)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of a State Ayush University, at Gorakhpur in Uttar Pradesh by the name of the State Ayush University, Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020.

Short title,
extent and
commencement

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. In this Act, unless the contexts otherwise requires,-

Definitions

(1) 'Academic Council' and 'Executive Council' means, respectively, the Academic Council and the Executive Council of the University;

(2) 'Affiliated College' or 'Affiliated Institution' means a college or an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes made thereunder;

(3) 'Appointed Date' means the date notified by the State Government under sub-section (3) of section 1;

(4) Ayurveda, Unani, Homoeopathy, and Nursing shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Medicine Central Council Act, 1970, Central Council for Homoeopathy Act, 1973, Uttar Pradesh Indian Medicine Act, 1939 and Uttar Pradesh Homoeopathy Medicine Act, 1951;

(5) 'Faculty' means a Teaching Faculty of the University;

(6) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(7) 'Hostel' means a unit of residences for students maintained or recognized by the University;

(8) 'Management' in relation to an affiliated college means the managing committee or any other body charged with managing affairs of that college and recognized as such by the University;

(9) 'Ayush' means alternative system of medicine in all its branches and include Ayurveda, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy, Siddha and Sowa-rigpa, Nursing and Paramedical Sciences and other allied disciplines in all their branches;

(10) 'Prescribed' means prescribed by the Statutes;

(11) 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations' means respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

(12) 'Teacher' means a teacher employed by the University or its Affiliated Colleges for imparting instructions or guiding or conducting research and includes a Director or a Principal of an Affiliated College;

(13) 'University' means the State Ayush University, Uttar Pradesh established under this Act.

CHAPTER-II

THE UNIVERSITY

Incorporation of the University

3. The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and the Academic Council, for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the State Ayush University, Uttar Pradesh.

First appointment of Vice-Chancellor and staff

4. (1) First Vice-Chancellor shall be appointed by the Government for three years.
(2) The Pro-Vice-Chancellor and Medical Superintendent(s) of Hospitals may be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University.

Objects of the University

5. The objects of the University shall be,—

(a) to disseminate and advance knowledge in Ayurveda, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy, Siddha and Sowa-rigpa, Nursing, Pharmacy, Paramedical Sciences and such other disciplines as may be prescribed from time to time and to ensure efficient and systematic instructions, teaching, training and research therein;

(b) to provide for multi-disciplinary and super speciality Ayush hospitals;

(c) to treat patients in its hospitals and health centers;

(d) to affiliate, supervise and regulate affiliated (Government and privately managed) colleges and to conduct examinations thereto;

(e) to administer, manage and control its Ayush hospitals, diagnostic centers and blood banks;

(f) to facilitate research in traditional and innovative areas;

(g) to establish a center for imparting training to teachers and other technical and para-medical aspirants; and

(h) to implement various schemes of Union, State and other agencies.

Powers and functions of the University

6. The University shall have the powers and functions:-

(i) to institute teaching and training in such branches of Ayush Medicine, nursing, para-medical and other disciplines as the University may think fit and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in those branches and manage the accreditation thereof;

(ii) to institute and award degrees, in affiliated Ayush colleges, nursing institutions and para-medical institutions and such constituent and autonomous colleges;

(iii) to admit students to various Ayush courses of study of the University and to conduct examinations or tests and lay down conditions in respect thereof;

(iv) to hold examinations for, and to grant and confer degrees, post-graduate diplomas and other academic distinctions to persons, who—

(a) have pursued a course of study in the University or its affiliated Colleges; or

(b) have carried on research in the University;

(v) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(vi) to provide such lectures, instructions and training for aspirants, not being students of the University, as the University may determine;

(vii) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purpose, as the University may determine;

(viii) to institute and award scholarship, fellowships, studentship, stipend, medals, prizes and to undertake other student welfare activities;

(ix) to recognize for the purposes of admissions to a course of study for a degree, as equivalent to its own degree, any degree conferred by another University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or any equivalent examination conducted by any other University or Authority;

(x) to establish, maintain and administer institutes of research, hospitals, laboratories, libraries or other things necessary to carry out the objects of the University;

(xi) to establish, maintain and administer hostels and to recognize places of residence for students of the University;

(xii) to fix and collect fees and other charges;

(xiii) to supervise and control the residents and to regulate the discipline of students of the University, and to make arrangements for promoting their health;

(xiv) to create teaching, administrative, technical, non-teaching and other necessary posts required by the University and to make appointments thereto;

(xv) to undertake publication of works of merit, research and patent;

(xvi) to provide for the management and treatment of the patients in its hospitals;

(xvii) to admit any Government or private Ayush College or any such institution as is imparting education, or training in Nursing and Para-medical degree courses to the privileges of affiliation or to withdraw or curtail any such privileges and to guide and control the works of such institution;

(xviii) to do all such acts and things whether incidental to the powers as aforesaid or not as may be required in order to further the objects of the University.

7. (1) Notwithstanding anything to the contrary in any other Law of the State of Uttar Pradesh, the provisions of this Act shall prevail.

Jurisdiction and admission to privileges

(2) No college or institution in the State of Uttar Pradesh imparting education in Ayush Medicines or degree courses in nursing and para-medical disciplines shall be affiliated with any other University and the sanction of the Government, be associated in any way with or seek admission to any privileges of any other State University.

(3) Any such privilege enjoyed from other University before the appointed date by any Ayush College or Institution of Ayush Science situated in the State of Uttar Pradesh shall stand withdrawn with effect from such date.

(4) On and from the appointed date, all colleges and institutions of Ayush medical sciences previously admitted to the privileges of or affiliated to any regional State University constituted under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 shall be deemed to be admitted to the privileges or affiliated to this University.

8. The University shall be open to all persons irrespective of race, class, creed or sex provided that the University may,—

University open to all castes and creeds

(i) restrict the eligibility of admission to the courses of study of the University;

(ii) make reservations in favour of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, women students and other categories in accordance with any law or orders of the Government for the time being in force.

INSPECTION AND INQUIRY

Visitation

9. (1) The Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and all other works conducted or done by the University or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administrator and finances of the University.

(2) Where the Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1) it shall inform the University of the same through the Registrar and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry a representative of the University and he shall have the right to be heard as such:

Provided that no person shall appear, plead or act as legal practitioner on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witness and compelling production of documents and material objects and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and the proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate of the Government to the Executive Council the views of the Government with such advice as the Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the Government may fix submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive council.

(6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Government, the Government may after considering any explanation which the University authorities may furnish issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

CHAPTER-III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officers of the University

10. The following shall be the officers of the University:--

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Pro-Vice-Chancellor;
- (d) the Registrar;
- (e) the Finance Officer;
- (f) the Controller of Examinations;
- (g) the Deans of Faculties;
- (h) such other officers as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

The Chancellor

11. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall by virtue of his office be the Head of the University and shall, when present, preside at any convocation of the University.

(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or record relating to the administration of the affairs of the University, as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under the Statutes.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by sub-section (6) or sub-section (10) from amongst the persons whose names are submitted to him by the committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (3).

The Vice-Chancellor

(2) (a) Only such person shall be eligible for the appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor, who has not attained the age of 65 years may be appointed as such for second term:

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of the resignation.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of a committee consisting of:-

(a) the Chief Secretary;

(b) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary to Government of Uttar Pradesh, Department of Ayush;

(c) the Vice-Chancellor, Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun ;

(d) the Director, All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi ;

(e) One expert in Ayush field, not below the rank of a Head of Medical Institution or Ayush University to be nominated by the Chancellor.

(4) The Committee shall as far as may be at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (2) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualification of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

(5) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (4).

(6) No act or proceeding of the committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reasons of some person having taken part in the proceeding who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(7) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of services of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(8) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify:—

(a) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor;

(b) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);

(c) any other emergency:

Provided that the Chancellor may, from time to time extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section so however that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

(9) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (6) or sub-section (8) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor if any or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the senior most Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

(10) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(11) During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (10) the Chancellor may order that till further orders,—

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (7).

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the orders.

Powers and
duties of the
Vice-
Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall, -

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University including the prohibition of any violent or indecent ragging of fresh students by their seniors;

(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the Academic Session of the University starts and ends on proper dates.

(2) The Vice-Chancellor shall be an *ex-officio* member and Chairperson of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

(3) The Vice-Chancellor shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and he shall without prejudice to the powers of the Chancellor under sections 11 and 50 possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee:

Provided that the Vice-Chancellor may delegate his power under this sub-section to any other officer of the University.

(6) Where any matter, other than the appointment of a teacher of the University is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action, as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter :

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if an officer, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, he or it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form so however that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment, such appointment shall terminate on appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and Ordinances.

14. (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University.

The Pro-Vice-Chancellor

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined by general or special orders by the Government.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

15. (1) The Registrar shall be whole-time officer of the University.

The Registrar

(2) The Registrar shall be appointed by the Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be the *ex-officio* secretary of the Executive Council, Academic Council, Admission Committee, Disciplinary Committee for a teacher and of every Selection Committee for appointment and promotion of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities and the Vice-Chancellor all such informations required from time to time but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with the order of the Government.

(6) Deputy Registrar(s) and Assistant Registrar(s) may be appointed to aid and assist the Registrar on the conditions prescribed under the Statutes, against the strength sanctioned by the Government.

The Finance
Officer

16. (1) There shall be a Finance Officer for the University who shall be appointed by the Government by a notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University

(2) An Accounts Officer may be appointed to aid and assist the Finance Officer on the conditions prescribed under the Statutes, against the strength sanctioned by the Government.

(3) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the Statement of Accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(4) The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(5) The Finance Officer shall be responsible—

(a) to ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University (otherwise than by way to investments);

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(6) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(7) The Finance Officer shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University.

(8) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(9) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

The Controller of
Examination

17. (1) The Controller of Examinations shall be a whole time officer of the University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed by the Government and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examination Committee of the University and shall be responsible to place before such committee all such informations as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have in this regard all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examination shall conduct the examinations and make all other arrangements thereto and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(6) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with an order of the Government.

(7) Where the Controller of Examinations is for any reason unable to act or the office of Controller of Examination is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor until the Controller of Examination resumes his duties or as the case may be the vacancy is filled.

(8) The Additional Controller of Examinations and the Deputy Controller of Examinations may be appointed to aid and assist the Controller of Examination on the conditions prescribed under the Statutes, against the strength sanctioned by the Government.

18. The power of officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examination, if any appointed shall be such as may be prescribed or laid down by the Ordinances.

Other Officers

CHAPTER-IV AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

19. The following shall be authorities of the University, namely:-

Authorities of
the University

- (a) the Executive Council;
- (b) the Academic Council;
- (c) the Finance Committee;
- (d) the Examination Committee;
- (e) the Board of Faculties;
- (f) the Selection Committees for appointment of teachers of the University;
- (g) the Admission Committee;
- (h) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

20. (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:-

Constitution of
the Executive
Council

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be Chairperson thereof;
- (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (c) the Principal Secretary/Secretary to Government of Uttar Pradesh, Ayush Department, or his nominee not below the rank of a Special Secretary;

(d) the Principal Secretary/Secretary to Government of Uttar Pradesh, Finance Department, or his nominee not below the rank of a Special Secretary;

(e) the Deans of two Faculties of the University including its affiliated colleges, by rotation, in order of seniority;

(f) the Director, Ayurvedic Services, Uttar Pradesh;

(g) the Director, Ayurved (Pathyakram Evam Mulyankan), Uttar Pradesh;

(h) the Director, Unani Services, Uttar Pradesh, Lucknow;

(i) the Director, Homoeopathy Services, Uttar Pradesh, Lucknow;

(j) two retired Principals of State Ayush Colleges, nominated by the Executive Council;

(k) one Principal of, each of State Ayush College, nominated by the Vice-Chancellor;

(l) two Senior Professors of the University including its affiliated Colleges, nominated by the Vice-Chancellor;

(m) two eminent Director/Head retired from Ayush/medical institution of National or International repute, nominated by the Chancellor;

(n) two eminent members of civil society engaged in Ayush/ medical profession or social service or retired civil servants or retired judges, nominated by the Chancellor on the recommendation of the Government.

(2) The term of the office of the members of the Executive Council other than *ex-officio* members shall be of three years.

(3) A person shall be disqualified for being a member (other than an *ex-officio* member) as and for being a member of the Executive Council if he or his relative is in service of the University or its affiliated college or accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as superintendent or warden of a training unit or any hostel or proctor or any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation:- In this section relative means the relations defined in section 2 of the Companies Act, 2013 and prescribed under rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 as amended from time to time.

21. (1) The Executive Council shall be the Principal Executive Body of the University and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely:-

(i) to hold control of the property and funds of the University;

(ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;

(iii) to make amend or repeal Statutes and Ordinances;

(iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purpose;

(v) to prepare the budget of the University;

(vi) to award scholarship, fellowships, bursaries, medals and other award in accordance with the Ordinances;

(vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary causal vacancies in their posts;

(viii) to fix the fees, emoluments and traveling and other allowances of the examiners;

(ix) to direct the form and the use of the common seal of the University;

(x) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of University in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xi) to manage and regulate the finance, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;

(xii) to invest any money belonging to the University (including any income from any trust or endowed property) in such stock funds shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property with the like power of varying such investment from time to time;

(xiii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying out the work of the University;

(xiv) to enter into, vary, carry-out and cancel contracts on behalf of the University;

(xv) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as constituent, affiliated colleges, hospitals and Health-Centers in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) No immovable property of the University shall except with the prior sanction of the Government be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the Government or with the previous sanction of the Government from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created in the University except with the prior approval of the Government except in accordance with any general or special order of the Government.

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University shall be such as may be approved by the Government.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(6) The Executive Council shall not take any action in regard to the numbers, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.

(7) The Executive Council may subject to any conditions laid down in the Statutes delegate such of its powers, as it deems fit, to an officer or any other authority of the University or to a committee appointed by it.

The Academic
Council

22. (1) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances:-

(a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and research carried on or imparted in the University;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and

(c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the statutes.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Deans of the Faculties;

(iii) all other Heads of Departments of the University;

(iv) all Professors of the University who are not Heads of departments;

(v) two retired Principals of the Ayush Institutions or Ayush Colleges to be nominated by the Vice-Chancellor;

(vi) two Professors, two Associate Professors and two Assistant Professors from each Faculty of the colleges affiliated by the University to be nominated by the Vice-Chancellor; and

(vii) five persons of the academic eminence to be nominated by the Vice-Chancellor.

(3) The term of office of nominated members shall be two years.

The Finance
Committee

23. (1) The Finance Committee shall consist of:-

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;

(b) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary to Government of Uttar Pradesh, Department of Ayush;

(c) the Principal Secretary to the Government in the Finance Department;

(d) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(e) the Registrar;

(f) the Controller of Examinations;

(g) the Finance Officer, who shall be the Secretary of the Committee.

(2) A member referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself depute an officer, not below the rank of a Joint Secretary to the Government and an officer so deputed shall also have the right to vote.

(3) The Finance committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall having regard to the income and resources of the University fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditures so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.

(4) The Financial committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes made thereunder.

24. (1) The University shall have Faculties of Ayurveda, Unani and Homoeopathy, Nursing, Para-medical and such other faculties as may be prescribed. The Faculties

(2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances.

(3) There shall be a board of each faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Dean of each faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.

(5) The Dean shall be the Chairperson of the Board of Faculty and be responsible for:-

(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and

(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(6) In each Department of teaching in the University there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes.

(7) The Head of Department shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the Department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.

(8) These shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Boards of studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

25. (1) There shall be an Admission Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances. Admission Committee

(2) The Admission Committee shall have the powers to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Academic Council and to the provisions of sub-section (5), the Admission Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission for various courses of studies in the University.

(4) Subject to the provision of sub-section (5) the Committee may issue any direction with regard to criteria or methods of admissions (including the number of students to be admitted) to affiliated colleges which shall have binding effects on such colleges.

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, reservation of seats for admission in any course of study in the University and affiliated colleges (excluding the minority institutions) for the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes of Citizens, Female students, Differently-abled students and other categories in accordance with any law or orders may be made and regulated by such orders as the Government may make in that behalf.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the foregoing sub-sections, admissions to the various courses shall be subject to any orders of the Central or State Regulatory Bodies.

(7) No student admitted to the University or its Affiliated Colleges in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

The Examination
Committee

26.(1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Committee shall supervise generally all the examinations of The University, including moderation and tabulation and perform the following other functions, namely:—

(a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them;

(b) to review from time to time the result of the University examination and submission of reports thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

(d) to scrutinize the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalize the same and declare the results of the University.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committees, as it thinks fit, and in particular, may delegate to any one or more persons or sub-committee to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under subsection (3) to debar an examinee from future examinations of the University if in its or his opinion such examinee is guilty of using unfair means at any such examinations.

Other Authorities

27. The constitution, powers and duties of other authorities of University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER- V

AFFILIATION AND RECOGNITION OF COLLEGES

Affiliated Colleges

28.(1) The Executive Council may admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of subsection (7), withdraw or curtail any such privilege.

(2) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University, for co-operation in the work of teaching or research.

(3) Save as provided in this Act, the management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(4) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

(5) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorized by it in that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(7) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (6) or to fulfill the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-sections (1) and (7), if the Management of an affiliated college has failed to fulfill the conditions of affiliation, the Chancellor may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation thereof.

29. (1) Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes and shall be maintained by the University or by the Government.

Constituent
College.

(2) The Principal of a Constituent College shall have general control over the staff of the college. He may exercise such other powers as may be prescribed.

30. The University on the recommendations of the University Grants Commission, may grant in the manner prescribed to an affiliated college as an autonomous college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instructions in the college, the courses of study prescribed by the University and holding examination in the courses so varied.

Autonomous
college

CHAPTER-VI

RECRUITMENT AND SERVICE CONDITIONS OF TEACHERS OF THE UNIVERSITY

31. (1) Subject to the provisions of this Act, the teachers shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided. The Selection Committee shall meet as often as necessary:

Appointment of
Teachers

Provided that the teachers may be engaged on contract basis for a period not exceeding one year in special circumstances when there is acute need for the permission of any regulatory body. Minimum qualifications and experience shall be such as prescribed as per the guidelines of the Government.

(2) The appointment of every such teacher not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended by the Executive Council for a period not exceeding one year:

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed in the case of a teacher of the University, except by the order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the head of the department), the head of the department concerned :

Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated:

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of probation shall stand extended until the final order of the Executive Council under the first proviso.

(3) Where any teacher is appointed (after reference to a Selection Committee) to a temporary post likely to last for more than six months, and such post is subsequently converted into a permanent post, or a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls vacant in the same department, then unless the Executive Council decides to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a substantive capacity to the post without reference to a Selection Committee:

Provided that this clause shall not apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualification for the post at the time of such substantive appointment and he has served continuously for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a selection committee:

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served before such appointment continuously for a period of less than two years, shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly.

(4) The Selection Committee for the appointment of a teacher in the University shall consist of-

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;
- (ii) the Head of the Department concerned:

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee when he is himself a candidate for appointment or when the post concerned is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the senior most Professor in the Department and if there is no Professor by the Dean of the Faculty:

Provided further that where the Chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case a Selection Committee cannot be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit;

- (iii) in the case of a Professor or an Associate Professor, three experts, and in any other case, two experts to be nominated by the Chancellor.

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding faculty in Indian University or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

(b) A panel referred to in clause (a) shall be revised after every three years.

Explanation-I: For the purposes of this sub-section a branch of subject in which a separate course of study is prescribed for a postgraduate degree shall be deemed to be a separate subject of study.

Explanation-II: where the post of teacher to be selected is common to more than one subject of study the expert may belong to either of such subject of study.

(c) The Chancellor may intimate in a specified order, a large number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the Selection Committee in such case on any person whose name appears higher in the specified order not being available for a meeting of the Selection Committee, a person whose name appears nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the Committee.

(6) No recommendation made by a Selection Committee referred to in sub-section (4) shall be considered to be valid unless one of the experts has agreed to such selection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (6), the majority of the total membership of any Selection Committee shall form the quorum of such Committee:

Provided that in the case of a Professor or an Associate Professor the persons present to form the quorum must include at least two expert.

(8) It shall be open to the Selection Committee to recommend one or more but not more than three names for each post.

(9) In the case of appointment of a teacher if the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement and his decision shall be final:

Provided that if the Executive Council does not take a decision on the recommendations of the Selection Committee within a period of four months from the date of the meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor and his decision shall be final.

(10) The disqualification of members of selection committee for appointment of teacher on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committee and other matters relating to appointment of such teachers shall be prescribed by the Statutes.

(11) No selection for any appointment under this section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issues of two newspapers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

32. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed or an Associate Professor substantively appointed or promoted in the University, who has put in such length of service and possesses such qualifications as may be prescribed, may be given personal promotion respectively to the post of Associate Professor or Professor.

(2) The personal promotion under sub-section (1) shall be given to the teachers of the University other than College Teachers on the recommendation of the Selection Committee constituted under sub-section (4) of section 31 in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

33. (1) Except as otherwise provided by Statutes, no teacher of the university and affiliated Colleges shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

Personal
Promotion
to the post
of Associate
Professor
and
Professor

Contract of
appointment
of teachers
of the
University

(2) The original contract shall be lodged with the Register and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract or other instrument, no teacher of the University shall have right of private practice except to such extent if any and subject to such conditions and restrictions as the Government may by general or special order specify.

Pensions,
Provident
Fund etc.

34. The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order by the Government, Such pension schemes, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties under the Uttar Pradesh University (Provisions Regarding Conduct of Examination) Act, 1965.

Limits of
additional
remunerative
work
permissible to
teachers

35.(1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or anybody other than Public Service Commission shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher shall at any time hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with examination.

Explanation—The words 'remunerative offices' include the offices of Provost, Warden or Superintendent of a Hostel, Proctor, Games Superintendent and Librarian.

Tribunal of
Arbitration

36.(1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in section 33 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor.

(2) If for any reason, a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate person or body concerned shall nominate another person in accordance with provisions of sub-section(1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which vacancy is filled.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any court.

(4) The tribunal of Arbitration shall have the powers-

(a) to regulate its own procedure;

(b) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and

(c) to award salary to the officer or teacher concerned after deducting from there such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service.

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration :

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3) shall be executable by the lowest court having territorial jurisdiction as if it were a decree of that court.

CHAPTER- VII

RECRUITMENT AND SERVICE CONDITIONS OF NON-TEACHING STAFF

OF THE UNIVERSITY

Service
Conditions of
Non-Teaching
Staff

37.(1) The direct recruitment and promotion on different posts in different services shall be made by the respective appointing authority on the recommendations of the Recruitment Board or the Promotion Committees as prescribed in the Statutes.

(2) The strength of the services and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Executive Council and approved by the Government from time to time.

(3) The determination of age and the length of service or experience shall be counted as on the 1st July of that recruitment year, which starts from 1st July of every year.

(4) For Direct Recruitment or Promotion on different posts etc., age, minimum qualification, experience, reservation and other conditions of services shall be such as may be prescribed.

(5) Employees may be outsourced as per the directions of the Government against the vacant sanctioned posts.

CHAPTER-VIII

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

38. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for:- Statutes

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the nomination, appointment and term of office of the members of the authorities of the University and the filling in of vacancies in their membership and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary to provide;
- (c) the powers and duties of the officers of the University;
- (d) the classification and recruitment (including minimum qualification and experience) of Principals, and other teachers of the University and of affiliated colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);
- (e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University;
- (f) the constitution of a new pension scheme or provident fund or the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (g) the institution of degrees and other academic distinctions;
- (h) the conferment of honorary degrees;
- (i) the withdrawal of degrees and other academic distinctions;
- (j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganization of Faculties;
- (k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;
- (l) the establishment, abolition and reorganization of hostels maintained by the University;
- (m) the number, minimum qualification, experience, the emoluments and other conditions of services including the age of retirement and provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University or an affiliated college and the preparation and maintenance of record of their service;
- (n) the institution of scholarship, fellowships, studentships, medals and prizes;
- (o) the holding of convocation, if any;

(p) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of affiliation by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;

(q) the recognition of the Management of any affiliated college; and

(r) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes how
made

39. (1) The first Statutes of the University shall be made by the Government by notification.

(2) The Executive Council may make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1).

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any statutes affecting the status, power or constitutions of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new statutes or addition to a statutes or any amendment or repeal of Statutes shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent there from or remit it to the Executive Council for further consideration.

(5) Any statutes passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the forgoing sub-section the Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or other Central Regulatory Authority or the State or National Education Policy with regard to the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement, the Government may with the assent of the Chancellor make new or additional statutes or amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1).

(7) The Executive Council shall have power to amend or repeal the Statutes made by the Government under sub-section (6) or to make new or additional statutes not inconsistent with such Statutes.

Ordinances

40. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, the Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely:—

(a) the admission of students to the University and their enrollment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and other academic distinctions of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations and degrees of the University and shall be eligible for the award of such degrees;

(d) the conditions of award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals and prizes;

(e) the conditions of residence of students at the University and the management of hostels maintained by the University;

(f) the recognition and management of hostels not maintained by the University;

(g) the maintenance of discipline among the students of the University and the punishment including suspension, expulsion or restrictions for breach of discipline or for any violent or indecent ragging of fresh students by their seniors;

(h) the fees which may be charged by the University or by an affiliated college for any purpose;

(i) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(j) the conduct of examinations;

(k) the remuneration and allowances including traveling, and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University; and

(l) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

41. (1) The Ordinances shall be made by the Executive Council and shall be submitted to the Chancellor for his approval.

Ordinances
how made

(2) The Executive Council may from time to time make new or additional Ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-section (1):

Provided that no Ordinances shall be made:-

(a) affecting the admission of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of section 25 for admission to the degree courses of the University unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council, or

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council, or

(c) affecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University unless a draft of the same has been approved by the Government.

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2) but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(4) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

(5) The Chancellor may at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2) and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance, such Ordinances shall become void.

(6) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

42. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make regulations-

Regulations

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinance are to be provided by regulations; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for keeping of record of the proceeding of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University to cancel or to amend in such form as may be specified in the directions, any regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the regulation accordingly.

(4) The Academic Council may subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4) but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestions.

CHAPTER-IX

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Annual Report

43. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council.

Account and
Audit

44. (1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all amounts accruing by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall together with the copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Government.

(4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuing year.

(5) Every item of new expenditure above such amounts, as may be prescribed, which is proposed to be included in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall after considering the recommendations, if any, of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure-

(a) either not sanctioned in the budget or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organization or Foundation save in accordance with the terms of such grant:

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of section 13, the Vice-Chancellor may in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees one lakh not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the Government in respect of all such expenditure;

(b) on any litigation in opposition to any order of the Chancellor or of the Government purporting to be made under this Act.

45. (1) An officer specified in any of the clauses (b) to (h) of section 10 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

Surcharge

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplications shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

46. (1) Except as expressly provided by this Act or the Statutes made thereunder, the officers of the University and members of authorities of the University, shall so far as may be, chosen by methods other than election.

Manner of Appointment of officers and members of authorities

(2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any application by rotation or according to seniority or other qualification the manner of rotation and determination of seniority and other qualification shall be such as may be prescribed.

(3) Except as expressly provided by this Act; no officer or employee of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

47.(1) Any casual vacancy among the members other than *ex-officio* members of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up was chosen and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Filling of casual vacancies

(2) A person who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside shall retain his seat on such authority for only so long as he continues to be the representative of such body.

48.(1) No act or proceeding of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of,-

Proceeding not to be invalidated by vacancies etc.

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof; or

(b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so; or

(c) any defect in the nomination or appointment of a person acting as member thereof; or

(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

49. The Executive Council may by a two third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same ground withdraw from any person any degree or certificate conferred or granted by the University.

Removal from membership of the University

50. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University (including a question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the Government or by the Chancellor) is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final:

Reference to the Chancellor

Provided that no reference under this section shall be made,—

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved:

Provided further that the chancellor may in exceptional circumstances:

(a) act *suo moto* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;

(b) where the matter referred relates to a dispute about the election and the eligibility of the persons so elected is in doubt, pass such orders of stay as he thinks just and expedient.

Mode of proof
of University
record

51.(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

(2) No officer or employee of the University shall in any proceeding to which the University is not a party be required to produce any document, register or other record of the University, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

Officers and
employees to
be public
servants

52. The Vice-Chancellor, Registrar, Finance Officer and other employees of the University shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Bar of Suit

53. No suit or other legal proceeding shall lie against the Government or the University or any officer or authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act, the Statutes or the Ordinances made thereunder.

CHAPTER — XI

TRANSITORY PROVISION

Constitution of
authority

54. (1) Every authority of the University shall, as soon as may be, after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act.

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the Government may, by order, direct that by whom and in what manner the powers, duties and functions exercisable or dischargeable under this Act by any authority of University other than the Executive Council shall be exercised or discharged.

Power to
remove
difficulties

55.(1) The Government, may for the purpose of removing any difficulties, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition of omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in questions in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been decided to make a law to provide for the establishment of a State Ayush University in the district of Gorakhpur, Uttar Pradesh.

The main features of the said Bill are as mentioned below:-

(1) The main objectives of the University shall be to disseminate and advance knowledge in Ayush Sciences, Ayush Nursing, Paramedical and other disciplines;

(2) To empower the University-

(i) to affiliate Government as well as privately managed institutions and conduct examinations thereto and to abolish the power of affiliation of certain other Universities of the State by amending the Acts thereof;


(ii) to administer, manage and control its hospitals and diagnostic centers;

(iii) to facilitate research in traditional and innovative areas;

(iv) to establish a center for imparting training to teachers and other technical and paramedical aspirants.

The State Ayush University, Uttar Pradesh Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.





सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 348/79-वि-1-21-1-क-3-21

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे आयुष अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 9 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020 का सामान्य संशोधन

2-राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 में संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम, शीर्षकों सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द "महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3-(1) राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में भारतीय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुर्विज्ञान प्रणाली में अध्यापन तथा अनुसंधान हेतु एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020) अधिनियमित किया गया था।

2-गोरखपुर, भारत में 'नाथ' धार्मिक अभिधान तथा मठीय आन्दोलन की शैव उप-परम्परा के सम्प्रवर्तक महायोगी बाबा गोरखनाथ की तपस्थली है। आयुर्वेदिक अध्ययन विषयों यथा 'रसशास्त्र' तथा 'भेषज्य कल्पना' पर रचित और 'नाथ' साहित्य योग तथा शैलतल से सम्बन्धित पुस्तकों में प्रकाशित उनकी कृतियाँ, आयुर्वेद ज्ञानार्जनों की प्रमुख अंग हैं। समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले गोरखपुर जैसे पवित्र स्थल पर आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होना गौरव की बात है।

3-पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश करने का विनिश्चय किया गया था।

4-चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2021 को राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

5-यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 348(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-3-21

Dated Lucknow, March 5, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Ayush Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 01, 2021. The Ayush Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam:

THE STATE AYUSH UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 6 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furth^r to amend the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|---|---|
| 1. (1) This Act may be called the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2021. | Short title and commencement |
| (2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 9, 2021. | |
| 2. In the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020 for the words 'Uttar Pradesh State Ayush University' wherever occurring including the short title, long title, headings, the words "Maha ^r Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur" shall be <i>substituted</i> . | General Amendment of U.P. Act no. 6 of 2020 |
| 3. (1) The State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. | U.P. Ordinance no. 1 of 2021 |
| (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. | |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Ayush University Act, 2020 (U.P. Act no. 6 of 2020) was enacted to provide for the establishment of an Ayush University at Gorakhpur in Uttar Pradesh for teaching and research in Indian Medicine Systems of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy.

2. Gorakhpur is the taposthali of Maha Yogi Baba Gorakhnath who is considered to be the founder of the Shaiva sub-tradition of 'Nath' religious denomination and monastic movement in India. His works authored on subjects of Ayurveda studies such as Rasashastra and Bhaishajya Kalpana which are published in books pertaining to 'Nath' literature, Yoga and Shailtal, form a part of Ayurveda's salient learnings. It is a matter of pride that the Ayush University is established in a holy place like Gorakhpur which has such a rich historic and cultural background.

3. In view of the aforesaid, it had been decided to change the name of the said University as Maha Yogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur, Uttar Pradesh.

4. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the State Ayush University, Uttar Pradesh (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 1 of 2021) was promulgated by the Governor on January 9, 2021.

5. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.